न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–50/2010/टोंक (2010/00027)

1. फूलचंद पुत्र पांचू,
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र पांचू,
3. कैलाश पुत्र सुखपाल,
4. राधेश्याम पुत्र सुखपाल,
   समस्त जाति काछी, नि0 अलीगढ़,तह0 उनियारा, जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. मोहम्मद जाहिद खां पुत्र अब्दुल हमीद खां, जाति मुसलमान, नि0 अलीगढ़ तहसील उनियारा, जिला टोंक ।
2. गोपाल पुत्र पीरू,
3. राधेश्याम पुत्र पीरू,
4. गोरधन पुत्र पीरू,
5. जानकी पुत्री पीरू,
6. नाथी पुत्री पीरू,
7. सीता पुत्री पीरू,
8. परसादी बेवा पीरू,
   समस्त जाति काछी, नि0 अलीगढ़, तह0 उनियारा, जिला टोक ।
9. राजस्थान सरकार ।
10. ग्राम पंचायत, बिलोता जरिये सरपंच ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा दिनांक 7.4.2010 अंतर्गत अपील संख्या 28/2001.

उपस्थितः–

1. श्री योगेन्द्रसिंह, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री वी0पी0सिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 30.10.2018

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 4.7.2010 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस के दादा भैरू उर्फ भूरा पुत्र रामबक्ष काछी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि साबिक आराजी खसरा नंबर 201 जिसके हाल खसरा नंबर 565 रकबा 1.02 है0 व खसरा संख्या 574 रकबा 1.09 है0 है जो ग्राम नवाब पुरा तहसील उनियारा में अवस्थित है जो भूरा की मृत्यु उपरांत अपीलांटस के नाम खातेदारी में अंकित होनी चाहिये थी किन्तु गलती से नाम की समानता के कारण विवादित भूमि पीरू पुत्र भूरा के नाम अंकित हो गई, जिसमें पीरू के बाबा अथवा भूरा के पिता का नाम दल्ला था । इस बाबत् अपीलांटस की ओर से एक वाद सहायक कलक्टर, उनियारा के न्यायालय में वास्ते इस्तकरार हक एवं दुरूस्त इंद्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है जिसमें सहायक कलक्टर, उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 7.6.1997 द्वारा विवादित भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत् पक्षकारों को आगामी पेशी दिनांक 21.7.1997 तक पाबंद कर रखा था । उक्त आदेश के बावजूद तहसीलदार, उनियारा ने नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 25.6.1997 को रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 8 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया । अपीलांटस ने तहसीलदार, उनियारा द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 25.6.1997 के विरूद्ध प्रथम अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा के न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 8 के विरूद्ध प्रस्तुत की । उक्त अपील के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 2 लगायमत 8 ने प्रकरण में लिप्त विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1.8.1997 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 को बेचान कर दी तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो0 संख्या 9 ने नामांतकरण संख्या 120 दिनाक 26.9.2001 को रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया । अपीलांटस ने ग्राम पंचायत बिलोता द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 120 दिनांक 26.9.2001 से व्यथित होकर उपखण्ड अधिकारी, उनियारा के समक्ष अपील प्रस्तुत की । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा ने निर्णय दिनांक 7.4.2010 द्वारा अपीलांटस की अपील को अपास्त करते हुए ग्राम पंचायत, बिलोता द्वारा पारित आदेश दिनाक 5.7.2003 को निरस्त कर नामांतकरण संख्या 120 को यथावत् रखने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 उपस्थित तथा शेष रेस्पो0 संख्या 2 से 8 व 10 बावजूद सूचना

के अनपुस्थित । प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 मे अपीलांटस ने विवादित भूमि बाबत् खातेदारी घोषण व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक वाद अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत कर रखा था जिसमें अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 7.6.1997 द्वारा विवादित भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये थे । उक्त स्थगन आदेश के प्रभावी रहते तहसीलदार, उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 25.6.1997 द्वारा नामांतकरण संख्या 68 स्वीकृत कर दिया था जबकि स्थगन आदेश होते हुए राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने उक्त स्थगन आदेश के प्रभावी रहते विवादित नामांतकरण पारित किया था जिसके विरूद्ध अपीलांटस ने उपखण्ड अधिकारी, उनियारा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो विचाराधीन थी तथा उक्त अपील के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में पुनः नामांतकरण विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता था । रेस्पो0 संख्या 1 ने दौराने वाद व अपील विवादित भूमि क्रय की थी तथा धारा 52 टी0पी0 एक्ट के प्रावधानों के तहत ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हुए भी रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में विक्रय पत्र के आधार पर तथाकथित नामांतकरण संख्या 120 स्वीकृत करने में ग्राम पंचायत ने त्रुटि कारित की थी । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि तथाकथित नामांतकरण संख्या 120 स्वीकृत करने से पूर्व ग्राम पंचायत, बिलोता ने अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जबकि विवादित भूमि अपीलांटस के दादा भैरू उर्फ भूरा पुत्र रामबक्ष काछी के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी जो भूरा की मृत्यु के उपरांत अपीलांटस के नाम खातेदारी में अंकित होनी चाहिये थी किन्तु गलती से नाम की समानता होने के कारण विवादित भूमि पीरू पुत्र भूरा के नाम अंकित हो गई थी । स्व0पीरू के वारिसान ने अपने पिता के नाम का गलत फायदा उठाते हुए विवादास्पद नामांतकरण संख्या 68 के संबंध स्थगन आदेश होते हुए भी अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं था । पीरू के पक्ष में हुए इंद्राजात को अपीलांटस ने जब वाद के माध्यम से चुनौत दे रखी थी तो वाद के विचाराधीन रहते उक्त इंद्राजात की आड़ में नये इंद्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था तथा उक्त इंद्राजात को चुनौती दिये जाने के पश्चात् उनके द्वारा किये गये विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में पुनः नामांतकरण खोलने का आदेश प्रदान नहीं किया जा सकता था। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे यह भी कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा है, ग्राम पंचायत ने तथाकथित नामांतकरण संख्या 120 स्वीकृत करने से पूर्व विवादित भूमि के कब्जे के बारे में कोई जांच नहीं की एवं न ही उन्होंने राजस्थान लैण्ड

रिकार्ड रूल्स 1956 के नियम 119 से 121 की पालना की है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर उनके समक्ष विचाराधीन अपील मे अपनी अतिसूक्ष्म फाईण्डिग द्वारा अपील को स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 7.4.2010 एवं ग्राम पंचायत, बिलोता द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 120 को निरस्त किया जावे । xx

4- रेस्पो0 संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 1 ने नामांतकरण संख्या 68 में लिप्त खातेदारान से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत, बिलोता ने रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में नामांतकरण संख्या 120 स्वीकृत किया है जो विधिसम्मत् है। अपीलांट्स का विवादित आराजियात से कोई संबंध नहीं है । अपीलांट्स जब तक मूल नामातकरण संख्या 68 को निरस्त नहीं करवा लेते है तब तक उन्हें कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है । अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट्स निरस्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने विवादित आराजी नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 25.6. 1997 में लिप्त खातेदारान रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 8 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1.8.1997 से क्रय की थी तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो0 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत, बिलोता ने नामांतकरण संख्या 120 दिनांक 26.9.2001 को स्वीकृत किया है । तत्पश्चात् ग्राम पंचायत बिलोता ने निर्णय दिनांक 5.7.2003 द्वारा नामांतकरण संख्या 120 को निरस्त किये जाने का निर्णय लेकर नामांतकरण संख्या 120 को खारिज किया है । हम विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 के इस कथन से सहमत है कि ग्राम पंचायत, बिलोता द्वारा एक बार नामांतकरण संख्या 120 स्वीकृत करने के उपरांत ग्राम पंचायत, बिलोता को नामांतकरण संख्या 120 को निरस्त करने का विधिक अधिकार नहीं था । पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने नामांतकरण संख्या 120 विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता अपीलांट्स ने दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं की है । जहां तक विवादित भूमि के संबंध में राजस्व वाद के विचाराधीन होने का प्रश्न है कि उक्त वाद में होने वाले निर्णय अनुसार अपीलांट्स कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है । वैसे भी नामांतकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रक्रिया है जिसमें हक तय नहीं होते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अपील अपीलांट्स खारिज की है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

6- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस अपास्त किये जाने योग्य तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.4.2010 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः–

7- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 50/2010 (2010/00027) बउनवानी फूलचन्द बनाम मोहम्मद जाहिद व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा द्वारा अपील संख्या 28/2001 बउनवान फूलचंद बनाम मो0 जाहिद व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 7.4. 2010 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

8- आदेश आज दिनांक 30.10.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.01 15:45:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: